झारखण्ड सरकार

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444502, फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांक: MIS/06/2016/140(Part-II)/471

दिनांक: 20/02/2020

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक ।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, सभी जिला, झारखण्ड ।

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, सभी जिला, झारखण्ड ।

विषयः **ई–विद्यावाहिनी में सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतीकरण एवं छुटे हुए सभी शिक्षकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः **राज्य परियोजना कार्यालय का पत्रांक–AC/02/344/2011-12/402 दिनांक 14.02.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र एवं दिनांक 14.02.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आपको अपने जिलांतर्गत कार्यरत सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतीकरण दिनांक 17.02.2020 तक अद्यतन कर लेना था। परंतु आँकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि आपके द्वारा इस दिशा में कोई भी यथोचित कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके कारण अभी भी कई सरकारी शिक्षक, मृत शिक्षक, सेवानिवृत शिक्षक, त्यागपत्र समर्पित शिक्षक ई–विद्यावाहिनी में कार्यरत पारा शिक्षक की श्रेणी में दिखाई दे रहे है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है एवं कार्य के प्रति आपकी लापरवाही को दर्शाता है। उपरोक्त स्थिति के कारण अनेकों बिंदुओं पर निर्णय लेने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है।

अतः अंतिम रूप से निदेश दिया जाता है कि आप आपने सरकारी (DoE) विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों का सम्पूर्ण प्रोफाइल दिनांक 24.02.2020 तक आवश्यक रूप से अद्यतन करा ले । अद्यतन के पश्चात् जिले में कार्यरत कुल सरकारी, पारा एवं अन्य शिक्षकों की संख्या का मिलान भी कर ले।

दिनांक 24.02.2020 तक सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतीकारण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आपके जिले के ADPOs, Teacher/Para Teacher I/C (APOs), ACPs, Accounts officers, BPOs, Block, MIS-Coordinators एवं संबंधित सभी

झारखण्ड सरकार

An ISO 9001:2015 certified

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444502, फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

Computer/Data entry operator का मानदेय तब तक के लिये बंद किया जाता है जब तक सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं कर लिया जाता है।

पुनः आपके जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 24.02.2020 तय किया जाता है। इसके पश्चात पंजीकरण की यह सुविधा ई–विद्यावाहिनी पर बंद कर दी जाएगी एवं छूटे हुये शिक्षकों का वेतन/मानदेय देय नहीं होगा।

अतः आप अपने जिलांतर्गत छुटे हुए सभी शिक्षकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण कराने के पश्चात **उन सभी विद्यालय जिन्हें कम नामांकन के कारण बायोमैट्रिक डिवाईस हस्तगत नहीं कराया जा सका है, उन विद्यालयों को अपने विद्यालय अनुदान की राशि से विद्यालय हेतु एक बायोमैट्रिक डिवाईस के क्रय के लिए आवश्यक निदेश भी देना चाहेंगे । इस हेतु प्रति विद्यालय अधिकतम रू. 1950/– का खर्च किया जा सकता है।** तत्पश्चात सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों को प्रतिदिन ससमय विद्यालय परिसर से बायोमैट्रिक उपस्थिति बनाने हेतु आवश्यक निदेश भी देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,
18/02/20

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक : *MIS/06/2016/140(Part-II)/*471 **राँची, दिनांक : 20/02/2020**

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित ।

18/02/20

(उमा शंकर सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक